

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/5/2026	SH Suraj Karan 2025-19/19 C/S-20/19 अवधि. PP. उपाठ अभियुक्तगण अशोक, सुरजकरन, रत्नलाल, राजाराम, जीवराज, मुकेश कर जमानत मय अधिक उपाठ अभियुक्तगण के अभियुक्त अन्तर्गत धारा- 313 CrP/ धारा- 351 BNSS के तहत लोकव्यक्ति के गये तथ्य अभियोगन तथ्य को गलत होना बताया। अभियुक्त- गण कादिर को बयान मुताबिक बी- तथ्य उपलब्ध- करवायी- गयी- तो कानून कोई तथ्य तथ्यगत नहीं- किये अभियुक्तगण कादिर ने पारो- किये कि बयान स्वाभाव पेश नहीं- करना- पाटवें हैं बयान तथ्य का कानून तथ्य किये गये। अभियुक्तगण बी- ओर धारा- 431-A CrP/ धारा- 481 BNSS के तहत जमानत मुचलके पेश- किये गये जो बाप जांच तथ्य किये पाकर अतिरिक्त पतावली- किये गये। बतल कानून तथ्य तथ्य- याव पतावली- वान्ति बतल कानून तथ्य तथ्य 7/5/2026 को पेश हो। मे 21/5/2026 अवर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1 केकड़ी (अजमेर)	अशोक सुरजकरन रत्नलाल जीवराज मुकेश बयान मुताबिक बी तथ्य तथ्य जमानती गिरफ्तारी आपराध अजमेर